Shedule XLII-Form No.(J) 12

FORM OF HEADING OF DEPOSITION.

ST. Case No. 681/2017

Deposition of Witness No. 06 for the Prosecution aged about 57 Years, taken on Solemn affirmation on the day 05th of February, 2020.

My Name SUDHIR KUMAR

I am Son of LATE HIRA LAL PRASAD .

My age is 57 Years. I am by Religion Hindu .My Nationality is Indian.

My home is at: Mauza :- GRAM-LALGANJ , P.S.:- BUXAR MUFASSIL District:- BUXAR I reside at present in: Mauza:- PATNA P.S. :- GANDHI MAIDAN District :- PATNA , Where I am POLICE INSPECTOR, ECONOMIC OFFENCE UNIT, PATNA

ON OATH:

मुख्य परीक्षणः—

01. दिनांक अगस्त 2015 से सन् 2017 तक बुद्धुचक थाना में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित थे। बुद्धुचक थाना कांड संख्या 02/2016 दिनांक 19.01.2016 का भार मैने स्वयं ग्रहण किया।

02. सर्वप्रथम वादी के लिखित आवेदन को केस डायरी में अंकित किया।

03. मृत्यु समीक्षा रिर्पोट दिनांक 19.01.2016 को 06.15 मिनट पर प्रिया सिंह उम्र 20 वर्ष का तैयार किया। यही वह मृत्यु समीक्षा रिर्पोट का कार्बन कॉपी है। जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। इसे पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श संख्या 2 अंकित किया जाता है।

04. मृतिका के फुसनुमा घर के अंदर फुस के बनाये गये शौचालय से पॉच लिटर का पलास्टिक का उजला मटमैला रंग का डबबा जिसमे करीब एक पाव किरासन तेल बचा था 2. माचिक का एक डिब्बा 3. लाल रंग का चुड़ी का टुकड़ा 4. शौचालय के उपर लगे प्लास्टिक पन्नी का डेढ़ मीटर का सिकुड़ा हुआ टुकड़ा बरामद किया। उसका विधिवत जब्ती सूचि तैयार किया। यही वह मुल जब्ती सूचि का कार्बन कॉपी है जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। इसे पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श संख्या 3 अंकित किया जाता है।

05. घटनास्थल का निरिक्षण किया। इस कांड का घटनास्थल बुद्धुचक थाना से करीब पॉच किलोमीटर पश्चिम दक्षिण ग्राम किशनदासपुर सड़क जो प्रधानमंत्री सड़क जो आंनदीपुर से पीरपैंती की ओर जाने वाली पूरब पश्चिम रूख का पक्की सड़क है। जो ग्राम किशनदासपुर चौक से करीब एक किलोमीटर दाएं और ग्राम गौघहठ्ठा चौक से करीब एक किलोमीटर पश्चिम बाये तरफ मृतिका प्रिया सिंह का ससुराल(ससुर शिवचंद्र सिंह) जो बांस के ट्टी से घेरा किया हुआ के बने बांस पर फुसनुमा घर जो सड़क के सटे उत्तर रूख का है। इसी फुसनुमा घर के सटे अन्दर आंगन में चित परा अवस्था में पुरा शरीर जला हुआ शव पाया गया है। शव का सिर उत्तर पैर दक्षिण, दोनो हाथ उपर की ओर खड़ा, हाथ का मुठठी मुरा हुआ एवं खुला हुआ। शव की लंबाई करीब पॉच फीट। दोनो ऑख बंद, सिर का बाल जला हुआ पाया गया। इसी आंगन के सटे दक्षिण पश्चिम दिशा में बने फुस के शौचालय में पड़े किरासन तेल का पॉच लीटर वाला उजला मटमैला रंग का डिब्बा। डिब्बा में करीब एक पावं भर किरासन तेल बचा हुआ और माचिश का डबबा। घटनास्थल की चौहद्दी–

उत्तर– पक्की सड़क

दक्षिण – अशोक जैसवाल पिता श्याम सुंदर भगत का मकई लगा खेत।

पुरब– मनीत सिंह का फुसनुमा एवं पक्का मकान

पश्चिम– मिथलेश सिंह का पक्का मकान।

05. वादी का पुनः बयान लिया।

06. मृत्यु समीक्षा रिर्पोट का साक्षी बिरेन्द्र सिंह। स्वतंत्र साक्षी राम ललीत सिंह, उपेन्द्र सिंह, राम रेखा यादव, सत्येन्द्र सिंह का बयान लिया।

07. साक्षी बबीता देवी, रिशी शेखर कुमार का बयान लिया।

08. अभियुक्त मृतिका के पति नवीन सिंह उर्फ भोला सिंह को गिरफतार किया।

09. वरीय पदाधिकारी का प्यवेक्षण रिर्पोट प्राप्त किया। उनके निर्देशो का पालन किया। गुप्तचर से सम्पर्क साधा। पोस्टमार्टम रिर्पोट प्राप्त किया। उसे कांड दैनिकी में अंकित किया।

10. अनुसंधान पुरा होने के उपरांत आरोप पत्र संख्या <u>38 / 2016</u> दिनांक 30.12.2016 भादवि की धारा 498ए, 304बी, 34 के अंतर्गत अभियुक्त शिवचन्द्र सिंह, अहिल्या देवी के विरूद्व आरोप पत्र समर्पित किया एवं अभियुक्त अदित्य सिंह माला देवी, मिथलेश

सिंह, मीना देवी, को अनुप्रेषित दिखाया। यह आरोप पत्र मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। इसे पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श संख्या 4 अंकित किया जाता है।

11. सभी अभियुक्तो को पहचानता हूँ।

प्रतिपरीक्षण अभियुक्त की तरफ सेः–

12. दहेज मांगने या देने का कोई दस्तावेजी प्रमाण मुझे नही मिला। अभियुक्त के आर्थिक स्थिति के संबंध में अनुसंधान नही किया। अभियुक्त का मोबाईल मैने सीज नही किया।

13. ऐसी बात नही है कि मैने त्रुटीपूर्ण अनुसंधान किया।

मेरे द्वारा कम्पयूटर पर लिखवाया गया।

(एम.पी सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, अष्ठम, भागलपुर
05.02.2020

(एम.पी सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, अष्ठम, भागलपुर
05.02.2020

सुधीर कुमार 05/02/2020
पढ़कर सही पाकर हस्ताक्षर किया।
(गवाह का हस्ताक्षर)

टंकित
5/2/20
बयान लेखक
05.02.2020

IN THE COURT OF M.P. SINGH, ADDL. DISTRICT & SESSIONS JUDGE, BHAGALPUR

EXHIBIT LIST S.T. 681/17

S.No	Nature of Document	With or Without Objection	On behalf of	Date of admitting into evidence	Signature of P.O
1.	[illegible] Ex. 1	—	[illegible]	5/2/20	
2.	[illegible] Ex. 2	—	,,	,,	
3.	[illegible] Ex. 3	—	,,	,,	
4.	[illegible] Ex. 4	—	,,	,,	
5.					[illegible]
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					

8Th Addl. Distt & Sessions Judge, Bhagalpur

In the Court of M.P. Singh, 8th Additional District & Sessions Judge, Bhagalpur

Order-sheet

S.T. NO.:- 681/17

05/2/20 वा० प० के अभी दोनों अभियुक्तों की
उपस्थिति दर्ज की गयी।
अभियोजन साक्षी सं. 6 सुश्री
कुमु I.O. का मुख्य परीक्षा के दौरान सुश्रु
समीक्षा रिपोर्ट को प्रदर्श. 2 पावती
सूचि को प्रदर्श. 3 पत्र
को प्रदर्श. 4 अंकित किया गया। बचाव
पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण
किया गया। उन्मुक्त किये गये।
दिनांक 25.03.20 को साक्ष्य हेतु

Ex. 2
Ex. 3
Ex. 4